देवी मल्टीप्लेक्स और एक अन्य

बनाम

गुजरात राज्य और अन्य

(सिविल अपील सं. 6478/2009)

13 मई, 2015

[अनिल आर. डेव और उदय उमेश ललित, न्यायाधिपतिगण]

पर्यटन परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन की नई पैकेज योजना, 1995-2000- खंड 10 - पर्यटन इकाइयों में निवेश को आमंत्रित करते हुये, प्रोत्साहन, राहत और रियायतों का वादा करते हुये राज्य सरकार द्वारा योजना - अपीलकर्ताओं ने योजना और अधिसूचना के अनुसार मल्टीप्लेक्स का निर्माण शुरू किया और अस्थायी पंजीकरण प्रमाणीकरण के लिए आवेदन किया - हालांकि, अपीलकर्ता की परियोजना की प्रगति राज्य में बड़े भूकंप और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप बाधित हुई - अपीलकर्ता ने समय विस्तार की मांग की - राज्य स्तरीय समिति ने विस्तार दिया - अपीलकर्ता ने फिर से समय विस्तार की मांग की जिसे अस्वीकार कर दिया गया - इसके बाद , उच्च न्यायालय ने माना कि योजना की परिचालन अवधि 30.11.2000 को समाप्त हो गई थी, उस समय तक अपीलकर्ताओं ने वाणिज्यिक संचालन शुरू नहीं किया था, इस प्रकार, अपीलकर्ता योजना के तहत किसी भी लाभ या प्रोत्साहन के हकदार नहीं थे - इसमें पाया गया कि परियोजना को पूरा करने और वाणिज्यिक संचालन शुरू करने का समय जीआर दिनांक 28.6.2000 के परिणामस्वरूप केवल 31.7.02 तक और 30.11.02 तक बढ़ाया जाएगा और अपीलकर्ता ने इतनी विस्तारित समय अवधि के भीतर भी वाणिज्यिक संचालन शुरू नहीं किया। - अपील पर, माना गया: अपीलकर्ता खंड 10 का पूरा लाभ और लाभ पाने के हकदार हैं और बाद के जीआर दिनांक 28.6.2000 द्वारा

उक्त खंड 10 के तहत उपलब्ध अवधि और अवसर की कटौती खराब और अप्रभावी थी - राज्य सरकार को योजना में किये गये वादे से मुकरने से रोका गया - उच्च न्यायालय का आदेश कि योजना की परिचालन अवधि 30.11.2000 को समाप्त हो गई और समय सीमा का कोई और विस्तार नहीं किया जा सका, अपास्त किया गया - राज्य स्तरीय समिति यह आकलन करेगी कि क्या अपीलकर्ता उचित रूप से योजना के खंड 10 के तहत विस्तार का दावा कर सकते थे - गुजरात मनोरंजन कर अधिनियम, 1977- धारा 29.

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया :

1.1 योजना में निश्चित रूप से नई इकाई पंजीकृत होने पर पूंजी निवेश के 100% तक बिक्री कर, टर्नओवर कर, बिजली शुल्क, विलासिता कर और मनोरंजन कर से छूट के संबंध में 5-10 वर्षों के कर अवकाश के रूप में प्रोत्साहन का वादा किया गया था। 1.8.1995 के बाद और अचल पूंजी संपत्तियों में उचित निवेश किया गया था। इसने पहली बार में परिचालन शुरू करने के लिए दो साल की प्रारंभिक अवधि का भी वादा किया, जिसे राज्य स्तरीय समिति द्वारा संतोषजनक प्रगति पाए जाने पर दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद भी, इकाई आगे विस्तार के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकती है। यह योजना के मूल का हिस्सा था, जिसने ऊपर बताए अनुसार कर अवकाश का वादा करते हुए पर्यटन इकाइयों में निवेश आमंत्रित किया था। इस तरह के प्रतिनिधित्व के आधार पर, अपीलकर्ताओं सहित विभिन्न इकाइयों ने आगे आकर अपनी स्थिति बदल दी है, राज्य सरकार निश्चित रूप से प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांतों से बंधी होगी। इस प्रकार, राज्य सरकार को योजना में किए गए वादे से पीछे हटने से रोक दिया गया था और वह उस अवधि और विशेष रूप से उपलब्ध अवसर को कम नहीं कर सकती थी जिसके भीतर परियोजना को पूरा किया जा सकता था ताकि योजना के तहत लाभ प्राप्त किया जा सके। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर यह

कहा जा सके कि राज्य सरकार को अपने वादे पर कायम रखना असमान होगा। जारी किए गए 108 टीआरसी में से, जिस बोझ के बारे में सरकार अच्छी तरह से जानती थी और सोचती थी कि वह इसे आसानी से सहन कर सकती है, केवल 19 या 20 इकाइयां ही स्थापित की गई हैं और कार्यात्मक हैं। जब ऐसा वादा किया गया था और योजना बनाई गई थी तो योजना के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहनों के प्रभाव और परिणामी बोझ को सावधानीपूर्वक तौला गया होगा। [पैरा 19] [25-एफ-एच; 26-ए-ई]

1.2 20.12.1995 को तैयार की गई योजना 1977 के अधिनियम 16 की धारा 29 के तहत एक वैधानिक अधिसूचना का आधार बनी और इस तरह योजना के मुख्य घटकों ने वैधानिक दर्जा हासिल कर लिया था। धारा 29 के आधार पर, दिनांक 14.2.1997 की अधिसूचना को राज्य विधानमंडल के समक्ष कम से कम 30 दिनों के लिए रखा जाना आवश्यक था। यदि राज्य सरकार दिनांक 14.2.1997 की उक्त अधिसूचना में संशोधन, परिवर्तन या रद्द करने की इच्छुक थी, तो आगामी जी.आर. दिनांक 28.06.2000 को अधिनियम की धारा 29 के तहत वैधानिक अधिसूचना में अनुवादित किया जाना चाहिए था। ऐसे कदम उठाए जाने के अभाव में, जी.आर. दिनांक 28.06.2000 किसी भी तरह से उस योजना के प्रभाव को कम या कम नहीं कर सकता जिसने वैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया था। इसलिए, अपीलकर्ता खंड 10 का पूरा लाभ और लाभ पाने के हकदार थे और बाद के जीआर दिनांक 28.06.2000 द्वारा योजना के उक्त खंड 10 के तहत उपलब्ध अवधि और अवसर में कटौती की गई थी, खराब एवं अप्रभावी थी। [पैरा 20,21] [27-बी-ई]

1.3 26.01.2001 को राज्य में आए बड़े भूकंप और फरवरी 2002 में राज्य में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं की परियोजना की प्रगति में काफी बाधा आई। राज्य स्तरीय समिति इस बात से संतुष्ट थी कि परियोजना की शुरुआत और निरंतरता इन प्रमुख कठिनाइयों के परिणामस्वरूप परियोजना बहुत

प्रभावित हुई और छह महीने का विस्तार की प्रारंभिक अनुमति दे दी गई लेकिन अपीलकर्ताओं को इस विस्तार से केवल कुछ दिनों का लाभ हुआ। आगे के विस्तार के लिए बाद के अनुरोध, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रासंगिक प्रमाण पत्र के साथ समर्थित था, ने निश्चित रूप से राज्य स्तरीय समिति को यह पता लगाने के लिए प्रेरित किया कि तथ्य आगे के विस्तार को उचित ठहराते हैं, लेकिन उसे लगा कि उसने जी.आर. दिनांक 28.06. 2000 के कारण इस तरह के विस्तार को देने की शक्ति खो दी है। इस प्रकार, राज्य स्तरीय समिति अभी भी विस्तार देने के अनुरोध पर विचार करने में सक्षम थी। [पैरा 22] [27-एफ-एच; 28-ए]

1.4 उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया है, जहां तक उसने यह माना था कि योजना की परिचालन अवधि 30.11.2000 को समाप्त हो गई थी और समय सीमा का कोई और विस्तार नहीं किया जा सकता था। चूंकि अपीलकर्ताओं ने पहले ही वाणिज्यिक संचालन शुरू कर दिया है, इसलिए राज्य स्तरीय समिति को यह आकलन करने का निर्देश दिया गया है कि क्या मामले के तथ्यों में अपीलकर्ता इस निर्णय की प्राप्ति के तीन महीने में योजना के खंड 10 के तहत विस्तार का दावा कर सकते हैं। यदि ऐसा मूल्यांकन अपीलकर्ताओं के पक्ष में पाया जाता है, तो वे योजना के तहत प्रोत्साहन और लाभ के हकदार होंगे। [पैरा 23] [28- बी-डी]

पंजाब राज्य बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड 2004 (2) पूरक एससीआर 135: 2004(6) एससीसी 465; बम्बई के कलेक्टर बनाम बम्बई शहर का नगर निगम 1952 एससीआर 43; भारत संघ बनाम एंग्लो अफगान एजेंसियां 1968(2) एससीआर 366; मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1979 (2) एससीआर 641: 1979 (2) एससीसी 409; जीत राम बनाम हरियाणा राज्य 1980 (3) एससीआर 689:1981 (1) एससीसी 11; भारत संघ बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड 1985 (3) पूरक एससीआर 123 :1985(4) एससीसी 369; एस.वी.ए. स्टील

री-रोलिंग मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य 2014 (2) एससीआर 336: (2014) 4 एससीसी 186 का उल्लेख किया गया है।

<u>प्रकरण कानून संदर्भ</u>

2004 (2) पूरक एससीआर 135 संदर्भित किया गया पैरा 18

1952 एससीआर 43 संदर्भित किया गया पैरा 18

1968 (2) एससीआर 366 संदर्भित किया गया पैरा 18

1979 (2) एससीआर 641 संदर्भित किया गया पैरा 18

1980 (3) एससीआर 689 संदर्भित किया गया पैरा 18

1985 (3) पूरक एससीआर 123 संदर्भित किया गया पैरा 18

2014 (2) एससीआर 336 संदर्भित किया गया पैरा 18

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6478/2009

विशेष सिविल आवेदन संख्या 18692/2005 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 26.06.2009 से।

मय

सिविल अपील संख्या 6479, 6480, 6481, 6482, 6483, 6484, 6485, 6487, 6488, 6489, 6490 और 6491 / 2009

राकेश द्विवेदी, जे.सी. गुप्ता, कुमार मिहिर, संस्कृति पाठक (विशाल गुप्ता के लिए), खेतान एंड कंपनी, अपीलकर्ताओं के लिए।

प्रीतेश कपूर, जेसल, हेमन्तिका वाही, पूजा, वनिता भार्गव, नितिन मिश्रा, उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय उदय उमेश ललित, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया।

1. सिविल अपील नंबर 6478 / 1979 विशेष सिविल आवेदन संख्या 18692 / 2005 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा पारित दिनांक 26.06.2009 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध निर्देशित है, इस हद तक इसने प्रतिवादी संख्या 3 दिनांक 20.7.05 द्वारा पारित आदेश की चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें पर्यटन परियोजनाओं 1995-2000 के लिए प्रोत्साहन के नए पैकेज के खंड 10 के तहत समय विस्तार के लिए अपीलकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। समय विस्तार के लिए उनके आवेदनों को खारिज करने के आदेशों के खिलाफ अन्य सिविल अपीलों में भी इसी तरह की चुनौती उठाई गई है। चूंकि सिविल अपील संख्या 6478 /2009 को मुख्य मामले के रूप में लिया गया था, इसलिए उससे संबंधित तथ्यों पर इसके बाद विस्तार से चर्चा की गई है।

2. 20.12.1995 को गुजरात सरकार ने सभी राजकोषीय और गैर-राजकोषीय प्रोत्साहन, राहत और रियायतें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "पर्यटन परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन की नई पैकेज योजना, 1995-2000" (इसके बाद योजना के रूप में संदर्भित) नामक नीति की घोषणा की, उद्योगों द्वारा आनंदित 'पर्यटन' को एक उद्योग का दर्जा दिया गया, ताकि पर्यटन क्षमता वाले क्षेत्रों में उच्च निवेश को आकर्षित करके और रोजगार के अवसर पैदा करके पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। खंड 2 के तहत, योजना 1.8.1995 को लागू हुई और 31.07.2000 तक पांच साल की अवधि के लिए लागू रही। खंड 3 के तहत, पात्र होने के लिए, एक नई पर्यटन इकाई को 1.8.1995 के बाद पंजीकृत होना चाहिए। खंड 4.7 उन प्रभावी कदमों से संबंधित है जो ऐसी इकाई द्वारा उठाए जाने की अपेक्षा की गई थी। खंड 5 के तहत, प्रारंभिक प्रभावी कदम उठाने के बाद एक पर्यटन इकाई पंजीकरण के लिए पर्यटन निदेशक के पास आवेदन कर सकती है। सभी परियोजनाओं को परिशिष्ट बी में उल्लिखित विशिष्टताओं और

आवश्यकताओं के अनुरूप होना था, परिशिष्ट पर्यटन इकाइयों की विभिन्न श्रेणियों से संबंधित था और आइटम 22 मल्टी सिनेमा थिएटर कॉम्प्लेक्स या मल्टीप्लेक्स सहित मनोरंजन परिसरों से संबंधित था। खंड 7 में पर्यटन इकाइयों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात्, प्रतिष्ठित पर्यटन इकाइयाँ, बड़े पैमाने की पर्यटन इकाइयाँ, छोटे पैमाने की पर्यटन इकाइयाँ और छोटे पर्यटन इकाईया रु. क्रमशः 10 करोड़, 90 लाख, 10 लाख और 10 लाख से कम के न्यूनतम स्थिर पूंजी निवेश वाली इकाइयाँ। खंड 8 प्रोत्साहनों से संबंधित है और कहा गया है कि (1) बिक्री कर (ii) टर्नओवर कर (iii) विद्युत शुल्क (iv) विलासिता कर और (v) मनोरंजन कर पूंजी निवेश का 100% तक से छूट के संबंध में 5-10 वर्षों की कर अवकाश उपलब्ध होगी। खंड 8.1 में यह कहा गया था कि प्रोत्साहन की मात्रा पात्र पूंजी निवेश के 100% से अधिक नहीं होगी और इसमें प्रतिष्ठित पर्यटन इकाइयों, बड़े पैमाने की पर्यटन इकाइयों, लघु पैमाने की पर्यटन इकाइयों और छोटी पर्यटन इकाइयों के संबंध में पात्रता की अवधि भी क्रमशः 10 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष और 5 वर्ष बताई गई है। खंड 9 मंजूरी देने वाले प्राधिकारी की संरचना से संबंधित है, जिसके तहत राज्य स्तरीय समिति प्रतिष्ठित और बड़ी इकाइयों के संबंध में पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम थी, जबकि जिला स्तरीय समिति को सभी लघु और लघु पर्यटन इकाइयों के लिए पात्रता प्रमाण पत्र जारी करना था। प्रोत्साहन के लिए पर्यटन इकाइयों के पंजीकरण की प्रक्रिया खंड 10 में विस्तृत थी।

3. योजना के खंड 4.7 और 10 यहां उद्धृत किए गए हैं: -

"4.7 प्रभावी कदम

प्रभावी कदम शामिल होंगे

(ए) प्रारंभिक प्रभावी कदम जिनमें शामिल होंगे:

i) सभी बाधाओं से मुक्त एक पात्र इकाई द्वारा भूमि का प्रभावी कब्ज़ा।

ii) साझेदारी फर्म के संबंध में कंपनी/सहकारी सोसायटी/ट्रस्ट के संबंध में पंजीकरण, साझेदारी विलेख के निष्पादन का साक्ष्य और फर्मों के रजिस्ट्रार के साथ आवश्यक पंजीकरण शुल्क के भुगतान के साथ अपेक्षित आवेदन भरना।

iii) परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना जिसमें विशेष रूप से पर्यटन गतिविधि की श्रेणी (कवरेज) और सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ पात्र इकाई द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहन का उल्लेख हो।

iv) सभी वैधानिक और कार्यकारी प्राधिकारियों द्वारा विधिवत स्वीकृत आवेदन की प्रतिलिपि, जिनसे अनुमति की आवश्यकता है।

(बी) अंतिम प्रभावी कदमों का मतलब होगा और इसमें शामिल होंगे:

i) परियोजना को लागू करने के लिए केंद्र/राज्य सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकारियों से मंजूरी, यदि कोई हो।

ii) प्रोत्साहन मंजूरी प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए परियोजना के लिए वित्त के साधनों को बांधना।

iii) परियोजना के लिए परिकल्पित कुल अचल संपत्तियों के 10% की सीमा तक साइट पर अचल संपत्तियों का अधिग्रहण, और

iv) परियोजना पर व्यय के संबंध में साक्ष्य, जिसमें भुगतान की गई अग्रिम राशि और पूर्व-संचालन व्यय शामिल हैं, जो परियोजना के लिए परिकल्पित पूंजी लागत का कम से कम 25 प्रतिशत है।

10. प्रोत्साहन हेतु पर्यटन इकाइयों के पंजीकरण की प्रक्रिया:

योजना के लिए पात्र सभी पर्यटन इकाइयाँ एक निर्धारित प्रपत्र में पर्यटन निदेशक को आवेदन करेंगी। पर्यटन निदेशक आवेदन की जांच करेंगे और निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाते हुए अस्थायी और स्थायी पंजीकरण जारी करेंगे:

ए) पर्यटन निदेशक को योजना के तहत प्राप्त आवेदन की जांच के बाद पात्र इकाई को प्रथम दृष्टया दो वर्ष तक के लिए अनंतिम पंजीकरण देना होगा।

बी) यदि ऐसी कोई इकाई प्रारंभिक वैधता अवधि के दौरान वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की स्थिति में नहीं है, तो इकाई को प्रगति रिपोर्ट के साथ राज्य स्तरीय समिति को आवेदन करना होगा जो एक बार में या कुल मिलाकर छह महीने तक विस्तार देने के लिए अधिकृत है। परियोजना को लागू करने में व्यक्तिगत इकाई द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों की जांच करने के बाद 2 साल की अवधि और उसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना।

ग) जो इकाइयां उपरोक्त पैरा (बी) के तहत विस्तार दिए जाने के बाद परिचालन में आने में असमर्थ हैं, उन्हें देरी के कारणों के बारे में सरकार को आवेदन करना होगा। ऐसे आवेदन को पर्यटन निदेशक द्वारा अग्रेषित करना होगा, जो परियोजनाओं का भौतिक निरीक्षण करेगा और निर्णय के लिए सरकार को रिपोर्ट करेगा। यदि पर्यटन निदेशक संतुष्ट है कि परियोजना को लागू करने के कदम पर्याप्त हैं तो वह सरकार को इसके बारे में सूचित करेगा।

घ) पर्यटन निदेशक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण की जांच के बाद राज्य सरकार प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर पंजीकरण को बढ़ाने या अस्वीकार करने का निर्णय ले सकती है। इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम और पार्टी के लिए बाध्यकारी होगा।

ई) इकाई पैरा 4(7)(ए) में निर्धारित प्रारंभिक प्रभावी कदम उठाने के बाद ही अनंतिम या अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हो जाएगी।

च) पात्र इकाई को वाणिज्यिक संचालन शुरू होने और परियोजना के पूरा होने के बाद ही स्थायी रूप से पंजीकृत किया जाएगा।

4. राज्य सरकार ने, गुजरात मनोरंजन कर अधिनियम, (1977 का अधिनियम 16) की धारा 29 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 14.2.97 को अधिसूचना जारी की, जो सम तारीख के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। अधिसूचना का प्रासंगिक भाग इस प्रकार था:

"जबकि गुजरात सरकार ने सरकारी संकल्प, सूचना के तहत "नई पर्यटन नीति, 1995" के तहत "पर्यटन परियोजनाओं 1995-2000 के लिए प्रोत्साहन के लिए नई पैकेज योजना" के तहत पर्यटन परियोजनाओं 1995-2000 के लिए प्रोत्साहन की एक नई पैकेज योजना प्रसारण और पर्यटन विभाग संख्या एनटीपी-1095-1983-सी, दिनांक 20 दिसंबर, 1995 (इसके बाद इसे "सहायता संकल्प" के रूप में संदर्भित किया गया है) शुरू की है:

और जबकि गुजरात सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है:

अब, इसलिए, उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग (1) गुजरात मनोरंजन कर अधिनियम, 1977 (1977 का गुजरात 16) की धारा 29, (इसके बाद "उक्त अधिनियम" के रूप में संदर्भित) और सरकारी अधिसूचना, सूचना, प्रसारण और पर्यटन विभाग संख्या (जीएचटी .91.45) एमएनआर-1391-285-ई, दिनांक 24 दिसंबर 1991 के अधिक्रमण में , गुजरात सरकार इसके द्वारा मनोरंजन पर कर से पूरी तरह छूट देती है जो उक्त संकल्प के परिशिष्ट-बी में निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है (इसके बाद पात्र मनोरंजन के रूप में संदर्भित किया गया है) पात्र अवधि के दौरान या प्रोत्साहन की सीमा की समाप्ति की अवधि तक, जो भी पहले हो, उक्त संकल्प के पैरा 8.1 में निर्दिष्ट सीमा तक.....

अधिसूचना के पैराग्राफ 17 में कहा गया है कि उक्त अधिसूचना के तहत छूट योजना में दिनांक 20.12.1995 के सरकारी संकल्प में उल्लिखित सभी नियमों और शर्तों और अधिसूचना में निर्धारित आगे की शर्तों के अधीन होगी।

5. मल्टीप्लेक्स स्थापित करने और योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठाने के इच्छुक अपीलकर्ताओं ने योजना और दिनांक 14.02.1997 की अधिसूचना के अनुसार प्रभावी कदम उठाए और अस्थायी पंजीकरण प्रमाणन (संक्षेप में टीआरसी) के लिए आवेदन किया। उक्त आवेदन की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई थी और टीआरसी 17.09.1999 को प्रदान की गई थी और इसे कवरिंग लेटर दिनांक 04.11.1999 के तहत अपीलकर्ताओं को भेजा गया था। इसके अनुसरण में अपीलकर्ताओं ने योजना के अनुसार मल्टीप्लेक्स का निर्माण शुरू कर दिया।

6. 28.06.2000 को राज्य सरकार द्वारा सरकारी संकल्प संख्या एनटीपी/1098-3219/सी जारी किया गया था, जिसमें योजना के तहत कवर किए गए कुछ मामलों के उपचार के संबंध में आकस्मिक/सहायक पहलुओं को स्पष्ट करने की मांग की गई थी। संकल्प के खंड ए में कहा गया है कि मौजूदा नीति के तहत टीआरसीएस के लिए आवेदन 31.07.2000 तक स्वीकार किया जाएगा और टीआरसीएस जारी किया जाएगा, बशर्ते प्रारंभिक प्रभावी कदम 31.07.2000 को या उससे पहले उठाए गए हों। उक्त संकल्प का खंड बी इस प्रकार था:

"बी. तदर्थ/अंतिम पात्रता प्रमाणपत्र:

(1) सभी इकाइयां जिन्हें पर्यटन नीति 1995-2000 के दिशानिर्देशों के तहत टीआरसी पहले ही जारी की जा चुकी है, उन्हें वाणिज्यिक गतिविधियों के शुरू होने की तारीख से 180 दिनों के भीतर पात्रता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना होगा।

(2) वे सभी इकाइयाँ जिन्हें टीआरसी जारी की गई है और 31.07.2000 को या उससे पहले वाणिज्यिक गतिविधियाँ शुरू नहीं की हैं, उन्हें पाइपलाइन मामले के रूप में माना जाएगा।

(3) पाइपलाइन मामलों के अंतर्गत आने वाली इकाइयाँ संबंधित परियोजना को नीचे दी गई समयावधि के भीतर पूरा करेंगी-

ए) छोटा प्रोजेक्ट 1 वर्ष 31/7/2000 से प्रभावी

बी) लघु परियोजना 1 वर्ष 31/7/2000 से प्रभावी

ग) प्रतिष्ठित परियोजना 2 वर्ष 31.7.2000 से प्रभावी

घ) बड़ी परियोजना 2 वर्ष 31.7.2000 से प्रभावी

पाइपलाइन मामलों में कोई और विस्तार या छूट उपलब्ध नहीं होगी।

(4) पाइपलाइन मामलों के अंतर्गत आने वाली इकाई जो उपरोक्त निर्धारित परियोजना को पूरा करने में विफल रहती है, पर्यटन नीति 1995-2000 के अनुसार किसी भी तदर्थ या अंतिम प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होगी।

(5) ऑपरेटिव अवधि या योजना, यानी 31.7.2000 के बाद किए गए किसी भी निवेश को योग्य निवेश नहीं माना जाएगा। हालाँकि, 31.7.2000 तक पूरी नहीं हुई और चालू नहीं हुई परियोजनाओं के मामले में, पात्र निवेश की गणना करते समय ऊपर उल्लिखित विस्तारित अवधि के दौरान किए गए निवेश पर विचार किया जाएगा।

(6) मौजूदा पॉलिसी 1995-2000 के तहत जारी टीआरसी की वैधता अवधि जारी होने की तारीख या ऑपरेटिव अवधि या पॉलिसी की समाप्ति से दो साल होगी, यानी 31.7.2000 जो भी पहले हो।

(7) पाइपलाइन मामले, एक बार खारिज कर दिए जाने के बाद, पर्यटन नीति 1995-2000 के तहत प्रोत्साहन के लिए दोबारा आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे।"

राज्य सरकार द्वारा जारी संकल्प दिनांक 31.07.2000 और 30.09.2000 के माध्यम से इस योजना को 30.09.2000 तक और बाद में 30.11.2000 तक बढ़ा दिया गया था।

7. 26.01.2001 को राज्य में भीषण भूकंप आया जिसके परिणामस्वरूप राज्य में बड़ी संख्या में इमारतें और संरचनाएं ढह गईं। इससे गुजरात टाउन प्लानिंग और शहरी विकास अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत विकास नियंत्रण विनियमों में संरचनात्मक सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के प्रयोजनों के लिए विकास अनुमतियां जारी करने की प्रक्रिया निलंबित हो गई। 27.03.2001 को राज्य सरकार द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि सभी विकास अनुमतियों को दिनांक 27.03.2001 के उक्त आदेश के अनुलग्नक में बताए गए संरचनात्मक सुरक्षा मानदंडों का पालन करना चाहिए और मौजूदा विकास अनुमतियों के संबंध में भी, संरचनात्मक स्थिरता और मजबूती के संबंध में आवश्यक प्रमाणन अपेक्षित योग्यता रखने वाले स्ट्रक्चरल इंजीनियरों द्वारा जारी किया जाना चाहिए। अपीलकर्ताओं ने अपेक्षित संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण पत्र के साथ भवन योजना प्रस्तुत की। अक्टूबर 2001 में नगर निगम द्वारा मंजूरी दे दी गई और अपीलकर्ताओं ने निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया। चूंकि भवन निर्माण मानदंडों में बाद के बदलावों के कारण एक वर्ष से अधिक का नुकसान हुआ, अपीलकर्ताओं ने उपरोक्त कठिनाइयों को इंगित करते हुए परियोजना को पूरा करने के लिए विस्तार देने के लिए 11.12.2001 को आवेदन किया। यह कहा गया था कि आज की तारीख तक, अपीलकर्ताओं ने 91.25 लाख रुपये का व्यय किया था, जिसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था। पूर्ण किये गये सिविल कार्यों की तस्वीरें भी संलग्न की गईं।

8. 26.02.2002 के आसपास राज्य में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए और नरोदा (जहां अपीलकर्ता की परियोजना स्थित है) सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक था। सामान्य नागरिक जीवन काफी समय तक बाधित रहा, श्रम बल साइट छोड़ चुका था और तदनुसार, अपीलकर्ताओं के अनुसार, चार महीने से अधिक समय तक कोई निर्माण नहीं हो सका। 04.04.2002 को अपनी 12 वीं बैठक में राज्य स्तरीय समिति ने

अपीलकर्ताओं द्वारा पसंदीदा दिनांक 11.12.2001 के आवेदन पर विचार किया। यह स्पष्ट किया गया कि अपीलकर्ताओं के मामले में टीआरसी की तारीख 4.11.1999 होगी। भूकंप के कारण ऑपरेशन जारी रखने में देरी और अपीलकर्ताओं द्वारा की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए, समिति ने टीआरसी की वैधता अवधि में छह महीने का विस्तार दिया, जिसका निर्णय 15.04.2002 को सूचित किया गया था। अपीलकर्ता ने 24.02.2002 को लिखा कि हालांकि राज्य स्तरीय समिति द्वारा विस्तार दिया गया था, लेकिन अपीलकर्ताओं को छह महीने के विस्तार में से प्रभावी रूप से केवल 17 दिन ही मिल सके। अपीलकर्ताओं ने सूचित किया कि सिविल कार्य पूरा हो गया था और विद्युतीकरण और एयर कंडीशनिंग का काम प्रगति पर था। आगे कहा गया कि उस तिथि तक पूंजीगत कार्य की विभिन्न मदों पर 1.11 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे, जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित था और चार महीने के विस्तार के लिए प्रार्थना की गई थी। बाद के पत्र दिनांक 19.08.2002 द्वारा यह कहा गया कि सिविल कार्य और विद्युतीकरण पूरा हो गया था और डक्टिंग और एयर कंडीशनिंग का काम पूरा होने के कगार पर था। उस तिथि तक निवेश की स्थिति 3.21 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई थी, जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित है। इसके बाद अपीलकर्ताओं ने चार महीने के बजाय छह महीने के विस्तार का अनुरोध किया, जैसा कि पहले अनुरोध दिनांक 29.04.2002 द्वारा किया गया था।

9. राज्य स्तरीय समिति ने 21.09.2002 को आयोजित अपनी 13 वीं बैठक में नीति के अनुसार टीआरसीएस की वैधता अवधि में विस्तार के प्रावधानों पर चर्चा की। यह महसूस किया गया कि भूकंप के कारण विभिन्न परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ और इसके बाद भूकंप प्रतिरोधी भवन संरचनाओं के लिए विकास नियंत्रण नियमों और विनियमों को अंतिम रूप दिया गया। अपीलकर्ताओं के आवेदन के संबंध में, समिति ने पाया कि भूकंप के कारण ऑपरेशन शुरू करने में और दंगों के कारण

ऑपरेशन पूरा करने में देरी उचित थी और परियोजना की भौतिक प्रगति संतोषजनक थी। हालाँकि, यह विचार किया गया कि वैधता अवधि बढ़ाने से 31.07.02 से आगे विस्तार होगा और इस प्रकार मामले को तब तक के लिए स्थगित करना आवश्यक था जब तक कि सरकार दिनांक 28.06.2000 को जीआर में संशोधन पर निर्णय नहीं ले लेती।

10. अपीलकर्ताओं ने पत्र दिनांक 30.10.2002 के माध्यम से विस्तार के लिए अपना अनुरोध दोहराया जिसे दिनांक 13.12.2002 और 22.04.2003 के पत्रों द्वारा दोहराया गया। 20.06.2003 को पर्यटन आयुक्त ने सूचित किया कि जीआर दिनांक 28.06.2000 में संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया था और इस मामले पर सरकारी स्तर पर विचार किया जा रहा था। यह कहा गया था कि अपीलकर्ताओं को जारी टीआरसी के अनुसार पात्रता लागू थी और उनकी परियोजना अभी भी पात्र थी। अपीलकर्ताओं ने 11.07.2003 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू किया और 04.11.2003 को उचित पात्रता प्रमाण पत्र देने के लिए आवेदन किया।

11. जून 2004 में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ गुजरात ने अपने सदस्यों की ओर से उच्च न्यायालय में विशेष नागरिक आवेदन संख्या 5574/2004 दायर किया और अपने सदस्यों को पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उचित दिशा-निर्देश मांगे। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.06.2004 द्वारा राज्य सरकार को समय विस्तार के लिए आवेदनों/अभ्यावेदनों पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके बाद, 22.07.2004 को पर्यटन आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस जारी कर अपीलकर्ताओं से पूछा कि पात्रता प्रमाण पत्र देने के लिए उनके दिनांक 04.11.2003 के आवेदन को क्यों खारिज नहीं किया जाना चाहिए। दिनांक 28.06.2000 के जीआर पर भरोसा करते हुए, इसमें कहा गया है कि परियोजना 31.07.2002 तक पूरी नहीं हुई थी और इस तरह अपीलकर्ता दिनांक 20.12.1995 की योजना के लाभ के लिए योग्य नहीं थे।

अपीलकर्ताओं द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया गया। 20.07.2005 को पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करने का आवेदन निम्नलिखित कारण बताते हुए खारिज कर दिया गया:

> "1. परियोजना की व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए पहले ही पर्याप्त समय विस्तार दिया जा चुका है।
>
> 2. समय सीमा को और बढ़ाने से राज्य के खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा।
>
> 3. राज्य में आवश्यकता से अधिक मल्टीप्लेक्सों की बहुलता।"

12. उपरोक्त आदेश दिनांक 20.07.2005 को अपीलकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय में विशेष सिविल आवेदन संख्या 18692/2005 दायर करके चुनौती दी गई थी, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई थी कि योजना में परिकल्पित वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की अवधि 11.07.2003 तक बढ़ा दी गई है और अपीलकर्ता पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने और योजना के तहत सभी प्रोत्साहन पाने के हकदार थे। उच्च न्यायालय ने प्रस्तुतियाँ खारिज करते हुए कहा कि योजना की परिचालन अवधि 30.11.2000 को समाप्त हो गई थी, उस समय तक अपीलकर्ताओं ने वाणिज्यिक संचालन शुरू नहीं किया था और अपीलकर्ता योजना के तहत किसी भी लाभ या प्रोत्साहन के हकदार नहीं थे। इसमें पाया गया कि परियोजना को पूरा करने और वाणिज्यिक संचालन शुरू करने का समय सरकारी संकल्प दिनांक 28.06.2000 के परिणामस्वरूप केवल 31.07.2002 तक और सरकारी संकल्प दिनांक 31.07.2000 और 30.09.2000 के मद्देनजर 30.11.2002 तक बढ़ाया जाएगा, कि समय सीमा का कोई और विस्तार नहीं किया जा सकता है और चूंकि वाणिज्यिक संचालन इतनी विस्तारित समय अवधि के भीतर भी शुरू नहीं हुआ था, इसलिए अपीलकर्ताओं का दावा सही ढंग से खारिज कर दिया गया था। यह देखा गया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांतों का कोई

अनुप्रयोग नहीं हो सकता है। विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को चुनौती देने का प्रयास करती है। मामले के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय ने अपीलकर्ताओं और इसी तरह स्थित मल्टीप्लेक्स थिएटर मालिकों को वर्तमान करों का भुगतान जारी रखने और 31.07.2009 तक बकाया राशि को छह समान त्रैमासिक किस्तों में कम शेष राशि पर 9 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ जमा करने का निर्देश दिया था।

13. अपीलकर्ताओं के लिए अपील करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी ने प्रस्तुत किया कि खंड 8 और 8.1 में प्रदान किए गए प्रोत्साहन, और खंड 10 में पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया राज्य सरकार के वादे और प्रतिनिधित्व का मूल आधार है। अपीलकर्ताओं सहित पात्र इकाइयों ने अपनी स्थिति बदल दी और बड़े पैमाने पर पर्यटन इकाइयों में भारी निवेश किया। उन्होंने कहा कि ऐसी इकाइयों को अब यह नहीं बताया जा सकता है कि संतोषजनक प्रगति की शर्तों को पूरा करने के बावजूद उन्हें वैधता अवधि के विस्तार का गैर-राजकोषीय लाभ नहीं दिया जाएगा। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि खंड 10 (बी) और विशेष रूप से उक्त खंड 10 (बी) में "पहले उदाहरण में" और "प्रारंभिक वैधता अवधि" की अभिव्यक्तियाँ चार साल की कुल वैधता अवधि का वादा करती हैं; टीआरसी के तहत प्रारंभिक वैधता अवधि सीधे दो साल दी जाती है, जबकि प्रगति रिपोर्ट और अनुभव की गई कठिनाइयों के आधार पर दो साल की बाद की अवधि दी जा सकती है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दिनांक 14.2.1997 की अधिसूचना 1977 के अधिनियम 16 की धारा 29 के तहत जारी की गई थी जिसमें योजना दिनांक 20.12.1995 के नियमों और शर्तों को शामिल किया गया था और इस प्रकार योजना के खंड 10 ने वैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया था। अपने निवेदन में, जी.आर. दिनांक 28.06.2000 एक मात्र संकल्प था जिसे धारा 29 के तहत समान अधिसूचना में अनुवादित नहीं किया गया था, और इसलिए कहा गया कि दिनांक 28.06.2000 का

जीआर वैधानिक अधिसूचना दिनांक 14.2.1997 से कम या कम नहीं हो सकता है। गुण-दोष के आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 20.07.2005 के अस्वीकृति पत्र में दिए गए कारण गलत और अप्रासंगिक थे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत जारी किए गए 108 टीआरसी में से केवल 22 या 23 मामलों में परियोजनाएं पूरी हुईं और वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। जाहिर है, राज्य सरकार ने यह विचार किया होगा कि परियोजना की स्थापना से होने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए, 108 टीआरसीएस के संबंध में बोझ को आराम से वहन किया जा सकता है। इसके अलावा, तीन परियोजनाएं चालू होने के बाद बंद हो गईं। इन परिस्थितियों में, राजकोष पर अनुचित बोझ और राज्य में मल्टीप्लेक्स की आवश्यकता के कारण बताए गए कारण बेतुके और निराधार थे।

14. राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री प्रीतेश कपूर ने कहा कि यह योजना 31.07.2000 तक लागू रहनी थी, जिसे 30.11.2000 तक बढ़ा दिया गया था और खंड 10 सहित यह योजना उसके बाद पूरी तरह से बंद हो गई है। विद्वान वकील के प्रस्तुतीकरण में, कट ऑफ तिथि से परे वैधता अवधि के विस्तार की मांग करने का अधिकार केवल तभी जीवित रहेगा जब ऐसा अधिकार एक अर्जित अधिकार होगा, जो वर्तमान मामले में ऐसा नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि जीआर दिनांक 28.06.2000 ने योजना से अलग होने के बजाय ऐसी इकाइयों को और विस्तार दिया और ऐसे मामलों में योजना के संचालन की अवधि समाप्त होने के बाद विस्तार के लिए अकेले जी.आर. दिनांक 28.06.2000 द्वारा शासित होना चाहिए और उसके बाद से जी.आर. किसी भी विस्तार पर विचार नहीं किया, राज्य स्तरीय समिति ने विस्तार देने के लिए किसी भी शक्ति का प्रयोग न करके सही किया। आगे कोई विस्तार न देने का नीतिगत निर्णय लेने में सरकार भी अपनी दलील में सही थी।

15. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राकेश द्विवेदी ने प्रत्युत्तर में कहा कि खंड 8 के तहत प्रोत्साहन, जो 5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक की अवधि के हैं, योजना की समाप्ति के बाद भी जीवित रहने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे मामले में जहां टीआरसी योजना की परिचालन अवधि के अंत में दी गई थी, अंतिम प्रभावी कदम आवश्यक रूप से योजना की समाप्ति के बाद उठाए जाने होंगे और इस प्रकार योजना ने स्वयं विचार किया कि विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। योजना की समाप्ति के बाद भी कार्य जारी रहेगा। उनके प्रस्तुतीकरण में "अर्जित अधिकार" की अवधारणा को सामान्य खंड अधिनियम की धारा 6 के संदर्भ में देखा जा सकता जो वर्तमान मामले में सख्ती से लागू नहीं हो सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि किसी भी मामले में योजना की प्रारंभिक वैधता अवधि के दौरान शुरू की गई परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारी निवेश के रूप में सकारात्मक कार्य, योजना के तहत विस्तार के लिए मामले पर विचार के लाभ का दावा करने का "उपार्जित अधिकार" था।

16. योजना को पढ़ने से पता चलता है कि योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र होने के लिए, एक नई परियोजना को 1.8.1995 के बाद पंजीकरण प्राप्त करना चाहिए और खंड 4.7 (ए) के तहत प्रारंभिक प्रभावी कदम उठाना चाहिए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भूमि का प्रभावी कब्जा सभी बाधाओं से मुक्त और परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी शामिल है। इसके बाद ही कोई इच्छुक इकाई आवेदन कर सकती है और उसे खंड 10(ए) के तहत अनंतिम पंजीकरण दिया जा सकता है। उक्त खंड इंगित करता है कि ऐसा अनंतिम पंजीकरण "पहली बार में" दो साल तक का होगा। यदि इकाई दो साल की इस प्रारंभिक वैधता अवधि के दौरान वाणिज्यिक संचालन शुरू करने की स्थिति में नहीं थी, तो वह विस्तार के लिए राज्य स्तरीय समिति को प्रगति रिपोर्ट के साथ आवेदन करने की हकदार होगी, जिसे एक बार में छह महीने तक या परियोजना

को लागू करने में आने वाली कठिनाइयों की जांच के बाद कुल दो साल की अवधि। कुल दो वर्षों की अवधि के लिए विस्तार का यह पहला स्तर राज्य स्तरीय समिति द्वारा दिया जा सकता है और भले ही कोई इकाई ऐसे विस्तारों का लाभ उठाने के बाद परिचालन में आने में असमर्थ हो, फिर भी वह आगे के विस्तार के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकती है। खंड 8 और 8.1 प्रोत्साहन और पात्रता की अवधि से संबंधित हैं जो एक इकाई के पूरी तरह से पात्र पाए जाने के बाद दस साल तक बढ़ जाएगी। ये धाराएँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि योजना के संचालन की अवधि समाप्त होने के बाद भी ऐसे चरण या घटनाएँ जीवित रहेंगी। योजना को पढ़ने से पता चलता है कि संचालन की अवधि के बाद कोई नया आवेदन और टीआरसीएस नहीं दिया जा सकता है, लेकिन जो सीमा पार कर चुके हैं और टीआरसी दी गई थी, धारा 10 में विचार किए गए चरणों का पूरा लाभ मिल सकता है। हमारे विचार में, यह कहना गलत होगा कि संचालन की अवधि समाप्त होने के बाद खंड 10 सहित सभी खंड लागू नहीं होंगे। यह स्पष्ट इरादा होने के कारण कि ऐसे चरण और घटनाएँ योजना की समाप्ति के बाद भी बनी रहनी चाहिए, हम राज्य की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण को अस्वीकार करते हैं।

17. योजना का खंड 7 विभिन्न श्रेणियों में परियोजनाओं को वर्गीकृत करता है और एक बड़े पैमाने की पर्यटन इकाई के लिए, जिसके साथ हम वर्तमान में चिंतित हैं, निश्चित पूंजी निवेश 90 लाख रुपये से अधिक होना आवश्यक था। योजना में निश्चित रूप से खंड 10 (ए) के तहत परियोजना को पूरा करने के लिए संबंधित इकाई द्वारा प्रारंभिक प्रभावी कदम उठाए जाने के बाद दो साल की प्रारंभिक अवधि का वादा किया गया था। खंड 10 (बी) में आगे दो साल के विस्तार का वादा किया गया है, बशर्ते राज्य स्तरीय समिति इस बात से संतुष्ट हो कि एक व्यक्तिगत इकाई को परियोजना को लागू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इसलिए एक इकाई को व्यक्तिगत तथ्य स्थिति के आधार पर दो साल तक विस्तार के लिए प्रार्थना करने का अवसर देने का

वादा किया गया था। खंड 10(सी) ऐसी इकाई को राज्य सरकार से संपर्क करने का अधिकार देता है। आगे विस्तार के लिए चार साल की उपरोक्त कुल अवधि के बाद भी। हमारे विचार में, खंड 10 योजना की मुख्य विशेषताओं में से एक था जिसके आधार पर पात्र इकाइयों को रुपये 90 लाख से अधिक का पूंजी निवेश खंड 8 के तहत प्रोत्साहन के वादे के साथ करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ऐसा वादा देने के बाद, जिसके आधार पर अपीलकर्ताओं ने पूंजीगत व्यय किया, अब प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत की प्रयोज्यता के संबंध में प्रश्न उठता है।

18. प्रॉमिसरी एस्टोपेल के विषय पर कानून को पंजाब राज्य बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड' मामले में इस न्यायालय द्वारा दोहराया गया था और संक्षेप में निपटाया गया था। इसने बॉम्बे के कलेक्टर बनाम बॉम्बे शहर के नगर निगम के फैसले में रखे गए सिद्धांत की नींव पाई, भारत संघ बनाम बनाम एंग्लो अफगान एजेंसियां में निर्मित सिद्धांत और सिद्धांत की अधिरचना, इसकी पूर्व-स्थितियों के साथ, मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड यूपी राज्य शक्तियों और सीमाओं के साथ। इस न्यायालय ने जीत राम बनाम हरियाणा राज्य मामले में विसंगतिपूर्ण टिप्पणी पर विचार किया और कैसे इसे भारत संघ बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लि. में तीन जजों की बेंच ने दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया गया था। हम पंजाब राज्य बनाम नेस्ले इंडिया लिमिटेड (उपरोक्त) मामले के निर्णय से पैरा 27, 28, 29, 34, 35 और 36 उद्धृत करना उचित समझते हैं:-

> "27. हालाँकि, सिद्धांत की अधिरचना को उसकी पूर्व शर्तों, शक्तियों और सीमाओं के साथ मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम यूपी राज्य के निर्णय में रेखांकित किया गया है। संक्षेप में कहा गया है: मामला राज्य सरकार द्वारा किए गए एक प्रतिवेदन से संबंधित है कि याचिकाकर्ताओं के कारखाने को उत्पादन शुरू होने की

तारीख से तीन साल की अवधि के लिए बिक्री कर के भुगतान से छूट दी जाएगी। यह साबित हो गया कि याचिकाकर्ताओं ने, प्रतिवेदन के परिणामस्वरूप, कारखाने की स्थापना की थी। लेकिन राज्य सरकार ने उसके प्रतिवेदन का सम्मान करने से इनकार कर दिया। उसने उस अवधि के लिए बिक्री कर का दावा किया, जब उसने कहा था कि वह ऐसा नहीं करेगी। जब याचिकाकर्ता अदालत में गए, तो राज्य सरकार ने दलील दी:

(1) धारा 4-ए के तहत अधिसूचना के अभाव में, राज्य सरकार को याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए बिक्री कर के दायित्व को बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानो के तहत लागू करने से नहीं रोका जा सकता है।

(2) कि याचिकाकर्ताओं ने छूट का दावा करने का अपना अधिकार छोड़ दिया था; और

(3) कि राज्य सरकार के खिलाफ कोई वचनबंध नहीं हो सकता है ताकि उसे सार्वजनिक हित में अपनी नीतियां बनाने और लागू करने से रोका जा सके।

28. इस न्यायालय ने सरकार की तीनों दलीलों को खारिज कर दिया। इसने सिद्धांत के संचालन के लिए प्रसिद्ध पूर्व शर्तों को दोहराया:

(1) एक स्पष्ट और स्पष्ट वादा, यह जानते हुए और इरादा रखते हुए कि वादा करने वाले द्वारा उस पर कार्रवाई की जाएगी;

(2) वादा करने वाले द्वारा वादे पर ऐसा कार्य करना ताकि वादा करने वाले को वादे से मुकरने की अनुमति देना असमान हो।

29. जहां तक इसकी ताकत का सवाल है, यह कहा गया था: यह सिद्धांत केवल उन मामलों तक सीमित नहीं था जहां पार्टियों के बीच कुछ संविदात्मक संबंध या अन्य पहले से मौजूद कानूनी संबंध थे। यह सिद्धांत तब भी लागू किया जाएगा जब वादे का उद्देश्य कानूनी संबंध बनाना या भविष्य में उत्पन्न होने वाले कानूनी संबंध को प्रभावित करना हो। सरकार को उस क्षेत्र या क्षेत्र में सिद्धांत के संचालन के लिए समान रूप से संवेदनशील माना गया जहां वादा संविदात्मक, प्रशासनिक या वैधानिक किया गया है। इसे न्यायालय के शब्दों में कहें तो:

"इसलिए, अब इस निर्णय के परिणामस्वरूप कानून को तय माना जा सकता है, कि जहां सरकार यह जानते हुए या इरादा रखते हुए कोई वादा करती है कि उस पर वादा करने वाले द्वारा कार्रवाई की जाएगी और, वास्तव में, वादा करने वाला, निर्भरता में कार्य करता है इस पर, अपनी स्थिति बदल देता है, सरकार वादे से बंधी होगी और वादा वादाकर्ता के कहने पर सरकार के विरुद्ध लागू किया जा सकेगा, भले ही वादे पर कोई विचार न किया गया हो और वादे को औपचारिक अनुबंध के रूप में दर्ज नहीं किया गया हो जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 299 द्वारा अपेक्षित है। (एससीसी पृष्ठ 442, पैरा 24)

[ई] किसी दिए गए मामले में जहां न्याय और निष्पक्षता की मांग होती है, वहां किसी व्यक्ति को सख्त कानूनी अधिकारों पर जोर देने से रोका जाएगा, भले ही वे किसी अनुबंध के तहत नहीं, बल्कि अपने स्वयं के शीर्षक कार्यों या क़ानून के तहत उत्पन्न हों। (एससीसी पृष्ठ 425, पैरा 8)

सरकार जिस कार्य का निर्वहन कर रही है उसकी प्रकृति चाहे जो भी हो, सरकार वचनबंधन के नियम के अधीन है और यदि इस नियम के आवश्यक तत्व संतुष्ट हैं, तो सरकार को अपने द्वारा किए गए वादे को पूरा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। एससीसी पृष्ठ 453, पैरा 33)

34. यूनियन ऑफ इंडिया बनाम गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में जीत राम मामले में दिए गए असंगत नोट को तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया था। यह पुष्टि की गई थी कि: (एससीसी पृष्ठ 387, पैरा 12)

12. इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वचनबंधन का सिद्धांत अपने सरकारी, सार्वजनिक या कार्यकारी कार्यों के अभ्यास में सरकार के खिलाफ लागू होता है और कार्यकारी आवश्यकता या भविष्य की कार्यकारी कार्रवाई की स्वतंत्रता के सिद्धांत को प्रयोज्यता को विफल करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। वचन विबंधन का सिद्धांत।"

35. यह माना गया कि सत्ता की प्रकृति चाहे जो भी हो, सरकार उस शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए बाध्य है, बशर्ते उसके पास ऐसी शक्ति हो और उसने यह जानते हुए और इरादे से ऐसा करने का वादा किया है कि वादा करने वाला ऐसे वादे पर कार्य करेगा और वादा करने वाले ने ऐसा किया है। (एससीसी पृष्ठ 389, पैरा 14)

"हमें लगता है कि केंद्र सरकार के पास नियमों के नियम 8 उप-नियम (1) के तहत सिगरेट के मूल्य से नालीदार फाइबरबोर्ड कंटेनरों की लागत को बाहर करने की अधिसूचना जारी करने की शक्ति थी

और इस तरह सिगरेट को उत्पाद शुल्क के उस हिस्से से छूट दी गई थी जो नालीदार फ़ाइबरबोर्ड कंटेनरों की लागत के लिए जिम्मेदार होगा। इसलिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के पास नियम 8 उप-नियम (2) के तहत समान छूट देने वाले प्रत्येक उत्तरदाता के मामले में एक विशेष आदेश देने की शक्ति थी। क्योंकि यह वैध रूप से कहा जा सकता है कि, सिगरेट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन द्वारा दिए गए प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए, असाधारण प्रकृति की परिस्थितियां थीं जिनके लिए नियम 8 के उप-नियम (2) के तहत शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता थी। केंद्र सरकार और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड इसलिये 24-5-1976 से 2-11-1982 की अवधि के लिए उत्पाद शुल्क के मूल्यांकन के उद्देश्य से माल के मूल्य से नालीदार फाइबरबोर्ड कंटेनरों की लागत को बाहर करने के लिए स्पष्ट रूप से वचनबद्ध रोक से बाध्य था।

36. हालाँकि, मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स 3 में उल्लिखित सिद्धांत की सीमाओं की भी पुष्टि की गई जब यह कहा गया: (एससीसी पीपी. 387-88, पैरा 13)

"[टी]अपने विधायी कार्यों के अभ्यास में विधायिका के खिलाफ कोई वचनबद्ध रोक नहीं हो सकती है और न ही सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को वैधानिक निषेध लागू करने से वचनबद्ध रोक द्वारा रोका नहीं जा सकता। यह भी उतना ही सच है कि वचन-बंधन का उपयोग सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी प्रतिनिधित्व या वादे को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए नहीं किया जा सकता है जो कानून के विपरीत है या जो सरकार या सार्वजनिक

प्राधिकरण के अधिकारी के अधिकार या शक्ति से बाहर है। हम यह भी इंगित कर सकते हैं कि प्रॉमिसरी एस्टोपेल का सिद्धांत एक न्यायसंगत सिद्धांत है, इसे समानता की आवश्यकता होने पर ही देना चाहिए; यदि सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा यह दिखाया जा सकता है कि घटित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को उसके द्वारा किए गए वादे या प्रतिनिधित्व पर रोक लगाना असमान होगा, तो न्यायालय इसमें समानता नहीं बढ़ाएगा। उस व्यक्ति का पक्ष लेना जिससे वादा या अभ्यावेदन किया गया है और सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध वादे या अभ्यावेदन को लागू करना।"

19. वर्तमान मामले के तथ्यों पर आते हुए, हम पाते हैं कि योजना ने निश्चित रूप से बिक्री कर, टर्नओवर कर, विद्युत शुल्क, विलासिता कर और मनोरंजन कर से छूट के संबंध में 5-10 वर्षों के कर अवकाश के रूप में प्रोत्साहन का वादा किया था। यदि कोई नई इकाई 1.8.1995 के बाद पंजीकृत हुई हो और स्थिर पूंजीगत परिसंपत्तियों में उचित निवेश किया गया हो तो 100 प्रतिशत पूंजी निवेश। इसने पहली बार में परिचालन शुरू करने के लिए दो साल की प्रारंभिक अवधि का भी वादा किया, जिसे राज्य स्तरीय समिति द्वारा संतोषजनक प्रगति पाए जाने पर दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद भी, इकाई आगे विस्तार के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकती है। यह योजना के मूल का हिस्सा था, जिसने ऊपर बताए अनुसार कर अवकाश का वादा करते हुए पर्यटन इकाइयों में निवेश आमंत्रित किया था। इस तरह के प्रतिवेदन के आधार पर, अपीलकर्ताओं सहित विभिन्न इकाइयां आगे आईं और अपनी स्थिति में बदलाव किया, राज्य सरकार निश्चित रूप से प्रॉमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांतों से बंधी होगी। इस प्रकार राज्य सरकार को योजना में किए गए वादे से पीछे हटने से रोक

दिया गया था और वह उस अवधि और विशेष रूप से उपलब्ध अवसर को कम नहीं कर सकती थी जिसके भीतर परियोजना को पूरा किया जा सकता था ताकि योजना के तहत लाभ प्राप्त किया जा सके।

वर्तमान मामले में हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि राज्य सरकार को अपने वादे पर कायम रखना असमान होगा। योजना के तहत जारी किए गए 108 टीआरसी में से, जिसका बोझ सरकार अच्छी तरह से जानती थी और सोचती थी कि वह आराम से सहन कर सकती है, केवल 19 या 20 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं और कार्यात्मक हैं। किसी भी स्थिति में, योजना के तहत दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का प्रभाव और परिणामी बोझ। जब ऐसा वादा किया गया था और योजना बनाई गई थी तो उस पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया होगा। हम एस.वी.ए. में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का सम्मानपूर्वक उल्लेख कर सकते हैं। स्टील री-रोलिंग मिल्स लिमिटेड और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य जिसमें हममें से एक (अनिल आर. दवे, जे.) एक पक्ष था:

> "30. किसी भी नीति को निर्धारित करने से पहले जो अपने विषयों को लाभ देगी, राज्य को नीति के पेशेवरों और विपक्षों और लाभ देने की क्षमता के बारे में सोचना चाहिए। सभी प्रासंगिक कारकों की उचित सराहना के बिना, राज्य को कोई भी आश्वासन नहीं देना चाहिए, न केवल इसलिए कि यह वचनबंधन के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा, बल्कि राज्य की ओर से अपने वादे के अनुसार कार्य न करना अनुचित और अनैतिक होगा।"

20. इसके अलावा, 20.12.95 को तैयार की गई योजना 1977 के अधिनियम 16 की धारा 29 के तहत एक वैधानिक अधिसूचना का आधार बनी और इस प्रकार योजना के मुख्य घटकों ने वैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त धारा 29 के आधार पर,

दिनांक 14.2.1997 की अधिसूचना को राज्य विधानमंडल के समक्ष कम से कम 30 दिनों के लिए रखा जाना आवश्यक था। यदि राज्य सरकार दिनांक 14.2.1997 की उक्त अधिसूचना में संशोधन, परिवर्तन या रद्द करने की इच्छुक थी, तो आगामी जी.आर. दिनांक 28.06.2000 को 1977 के अधिनियम 16 की धारा 29 के तहत एक वैधानिक अधिसूचना में अनुवादित किया जाना चाहिए था। ऐसे कदम उठाए जाने के अभाव में, जी.आर. दिनांक 28.06.2000 किसी भी तरह से उस योजना के प्रभाव को कम या कम नहीं कर सकता जिसने वैधानिक दर्जा प्राप्त कर लिया था।

21. इसलिए हम मानते हैं कि अपीलकर्ता योजना के खंड 10 का पूरा लाभ और लाभ पाने के हकदार थे और बाद के जीआर दिनांक 28.06.2000 द्वारा योजना के उक्त खंड 10 के तहत उपलब्ध अवधि और अवसर में कटौती की गई थी, खराब एवं अप्रभावी था।

22. रिकॉर्ड इंगित करता है कि 26.01.2001 को राज्य में बड़े भूकंप और फरवरी 2002 में राज्य में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप अपीलकर्ताओं की परियोजना की प्रगति में काफी बाधा उत्पन्न हुई थी। राज्य स्तरीय समिति इस बात से संतुष्ट थी कि इन प्रमुख कठिनाइयों के परिणामस्वरूप परियोजना की शुरुआत और निरंतरता प्रभावित हुई और छह महीने का प्रारंभिक विस्तार दिया गया लेकिन अपीलकर्ताओं को इस तरह के विस्तार से केवल कुछ दिनों का लाभ हुआ। आगे के विस्तार के लिए बाद के अनुरोध, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रासंगिक प्रमाण पत्र के साथ समर्थित था, ने निश्चित रूप से राज्य स्तरीय समिति को यह पता लगाने के लिए प्रेरित किया कि तथ्य आगे के विस्तार को उचित ठहराते हैं, लेकिन उसे लगा कि उसने जी.आर. दिनांक 28.06. 2000 के कारण इस तरह के विस्तार को देने की शक्ति खो दी है। हमने जो विचार किया उसके आलोक में राज्य स्तरीय समिति विस्तार देने के अनुरोध पर विचार करने के लिए अभी भी सक्षम थी।

23. इन परिस्थितियों में, हम अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करते हैं, जहां तक उसने कहा था कि योजना की परिचालन अवधि 30.11.2000 को समाप्त हो गई थी और समय सीमा का कोई और विस्तार नहीं हो सकता है। चूंकि अपीलकर्ताओं ने पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है, इसलिए अब राज्य स्तरीय समिति द्वारा इसका आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या मामले के तथ्यों में अपीलकर्ताओं ने योजना के खंड 10 के तहत उचित रूप से विस्तार का दावा किया हो सकता है। हम राज्य स्तरीय समिति को इस निर्णय की प्राप्ति के तीन महीने के भीतर खंड 10 के अनुसार ऐसा मूल्यांकन करने का निर्देश देते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है, यदि ऐसा मूल्यांकन अपीलकर्ताओं के पक्ष में पाया जाता है, तो वे योजना के तहत प्रोत्साहन और लाभ के हकदार होंगे।

24. सभी संबंधित मामले समान मुद्दे उठाते हैं और समय विस्तार के लिए उनके आवेदनों की अस्वीकृति को चुनौती देते हैं। प्रत्येक मामले में संबंधित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश समान शब्दों में लिखा गया है और 20.07.2005, यानी एक ही तारीख को पारित किया गया है। इन संबंधित अपीलों को भी इसी निर्देश के साथ अनुमति दी जाती है।

25. ऊपर बताए गए अनुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं। लागत के हिसाब से कोई आदेश नहीं।

निधि जालान

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उददेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उददेश्यो के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उददेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।